उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

<u>सूचना/विज्ञप्ति (Website हेतु)</u>

<u>उत्तर प्रदेश पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती (सामान्य चयन)-2016</u>

संख्याःपीआरपीबी-एक-3(22)/2015 (Website) दिनांकः फरवरी 23 ,2016

1.1- उत्तर प्रदेश पुलिस में **कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए** वेतनमान-पे बैण्ड-5200-20200 व ग्रेड पे-2400 के सीधी भर्ती के **1865 रिक्त पदों** जिसका श्रेणीवार विवरण निम्नवत है, को भरने के लिए **ऑनलाइन** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र0सं0	**श्रेणी**	**पदों की संख्या**
1	अनारक्षित	934
2	अनुसूचित जाति	391
3	अनुसूचित जनजाति	37
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	503
कुल योग		**1865**

1.2- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये 02 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 05 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप प्रदान किया जायेगा।

1.3- लिखित परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

2.1- <u>ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी-</u>

क्र0सं0	**विवरण**	**तिथि**	**दिन**
1	आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	11-03-2016	शुक्रवार
2	आवेदन करने की अन्तिम तिथि	04-04-2016	सोमवार
3	शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	06-04-2016 सायं 05:00 बजे तक	बुधवार

2.2-<u>आवेदन शुल्कः-</u>

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क रू0-400/- (रूपये चार सौ मात्र) निर्धारित है।

3- <u>अर्हतायें-</u>

<u>3.1-राष्ट्रीयता</u>

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यॉमार, श्रीलंका या केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया(पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो।

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

3.2-शैक्षिक अर्हताः-

अभ्यर्थी को निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता धारित करना आवश्यक हैः-

1.1 मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं

1.2 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन(DOEACC)/नाइलिट **(NIELIT)** विभाग से कम्प्यूटर में "ओ" लेवेल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

या

2. प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से कम्प्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

टिप्पणीः-

(1) आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहियें। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए **(appeared)** अथवा सम्मिलित होने वाले **(appearing)** अभ्यर्थी पात्र न होंगे।

(2) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

3.3- अधिमानी अर्हतायें:-

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(3) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो।

3.4- आयुः-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः-

अभ्यर्थी ने 01 जुलाई-2016 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की अधिकतम आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1988 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1998 के बाद का नहीं होना चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाये।

3.5- चरित्र:-

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगें।

टिप्पणी-

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें।

3.6-वैवाहिक प्रस्थिति-

नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

3.7-शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल 10 के

अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। शारीरिक रूप से विकलांग भर्ती के लिए पात्र न होंगे।

<u>4-भर्ती की प्रक्रिया</u>

यह चयन '*उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग(अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2015*' के अधीन किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की संवीक्षा के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

<u>4.1- ऑनलाइन लिखित परीक्षा</u>

ऑनलाइन लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा का एक प्रश्नपत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य, तर्कशक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूॅछे जायेंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों में से उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो, अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बुलाया जायेगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 पर है।

<u>4.2- कम्प्यूटर टंकण परीक्षा</u>

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा अर्हकारी होगी। कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के 02 चरण होंगेः-

(1) <u>कम्प्यूटर टंकण परीक्षा</u>

कम्प्यूटर टंकण की गति हिन्दी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी आवश्यक है। इस गति के साथ 85 प्रतिशत की शुद्धता पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। हिन्दी टंकण **यूनीकोड इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड** पर आधारित होगा।

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा निम्नवत होगीः-

अंग्रेजी टाइपिंग	30 शब्द प्रति मिनट	निर्धारित समय 15 मिनट
हिन्दी टाइपिंग	25 शब्द प्रति मिनट	निर्धारित समय 15 मिनट

अभ्यर्थी को अंग्रेजी में लगभग 600 शब्द तथा हिन्दी में लगभग 500 शब्दों का गद्यांश दिया जायेगा तथा एक टेस्ट के बाद 10 मिनट का अन्तराल दिया जायेगा। कम्प्यूटर पर टंकण के लिए परीक्षा केन्द्र/स्थान पर बोर्ड अथवा प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थियों को स्वयं का की-बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित केन्द्रों में किया जायेगा। किसी श्रेणी के अभ्यर्थी को कम्प्यूटर टंकण परीक्षा से कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(2) <u>मूल अभिलेखों की जांच:-</u>

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों के मिलान हेतु मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

<u>टिप्पणी-</u>

(1) लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथासमय अधिसूचित की जायेगी।

(2) लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के प्रवेश-पत्र बोर्ड की **वेबसाइट http://uppbpb.gov.in** पर यथासमय उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

4.3-चयन सूची

राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार, अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कम्प्यूटर टंकण परीक्षा एवं मूल अभिलेखों की जांच में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठताक्रम में एवं अधिमानी अर्हता के अनुसार एक चयन सूची तैयार की जायेगी और अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन नियुक्ति हेतु संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को अग्रसारित की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता न हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

5-आरक्षण व आयु सीमा में छूट

अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं:-

5.1- लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण

क्र0 सं0	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

5.2 -क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण

क्र0 सं0	समूह	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	-	आश्रित प्रमाण पत्र प्रारूप-3	जिलाधिकारी
2	भूतपूर्व सैनिक	05	3 वर्ष *	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
3	(महिला	20	लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण की उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1-3 में अंकित श्रेणी के अनुसार		

*भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.3- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्याः2-ईःएमः/2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप-4 के अनुरुप होना चाहिये।

5.4- शासन के पत्र संख्या-17/6-पु0-10-2016-27(3)/2016 दिनांक 18 जनवरी, 2016 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमन्यता है।

टिप्पणी

(1) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरूष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा।

(2) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरूष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(3) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा।

(4) उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का **प्रारूप-1,** उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का **प्रारूप-2** तथा शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015 में

निर्धारित उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का आलेख **प्रारूप-3 पर** है।

(5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची-दो के अनुसार **क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। **अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-1) 01 अप्रैल, 2015 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए।**

(6) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें।

(7) लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण-पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।

(8) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।

(9) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(10) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

(11) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें।

6-ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **http://uppbpb.gov.in** पर जाकर **Online Application Form** को **click** करें। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र

स्वीकार नहीं किये जायेंगे अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें। "आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थी निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तद्नुसार आवेदन **(Submit)** करें:-

बोर्ड की वेबसाइट **http://uppbpb.gov.in** पर निम्नलिखित भाग स्वत: प्रदर्शित होंगे:-

1- महत्वपूर्ण तिथियाँ और सहायता पटल विवरण
2- विज्ञापन
3- आवेदन कैसे करें
4- प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
5- पाठ्यक्रम

"आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम स्तर:-

अभ्यर्थी को वेबसाइट **http://uppbpb.gov.in** पर जाकर **Online Application Form** पर क्लिक करना होगा। **click** करने के पश्चात अभ्यर्थी को ऑनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (फोटोग्राफ अधिकतम **80 KB (Only jpeg, jpg format 30 mmX45mm),** हस्ताक्षर अधिकतम 80 **KB (Only jpeg, jpg format 50 mmX25mm**) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष **(chest)** तक होनी चाहिये। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद **(Preview)** को **click** करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आन-लाइन आवेदन प्रेषित करने हेतु **"Submit"** बटन को **Click** करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व **Submit** बटन को **Click** करना आवश्यक है।

द्वितीय स्तर:

Submit बटन को **click** करने के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक की बेवसाइट स्वत: प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन शुल्क (रू0-400/-) का भुगतान ऑनलाइन अथवा चालान मोड के विकल्प से कर सकते हैं।

(क) ऑनलाइन आवेदन शुल्क अभ्यर्थी प्रदर्शित बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

(ख) ई-चालान के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने हेतु अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की प्रदर्शित वेबसाइट से चालान डाउनलोड कर भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में नकद रूप से जमा कर सकते हैं।

तृतीय स्तर:

आवेदन शुल्क के भुगतान की पुष्टि **(Confirmation)** होने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिन्ट ले सकता है, जिस पर उसका आवेदन शुल्क जमा करने का विवरण स्वत: प्रदर्शित होगा।

टिप्पणी:-

(1) बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। अंतिम तिथि को शुल्क सायं 05:00 बजे तक ही देय होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करने का दायित्व अभ्यर्थी का है।

(2) सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए:-

(1) चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए।
(2) नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।
(3) कंधे साफ दिखने चाहिए।
(4) सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
(5) ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70 प्रतिशत भाग आच्छादित करता हो।
(6) तटस्थ अभिव्यक्ति (मुंह बन्द, ऑखें खुली)।
(7) चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हुए।
(8) कैमरे पर सीधी नजर हो।
(9) चश्मा पहनने की स्थिति में आंखे साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए।
(10) फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए

यदि उपरोक्तानुसार फोटो अपलोड नहीं किया जाता है, तो बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

7- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक है:-

क- शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी अभिलेख-

(1)- इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्र एवं कम्प्यूटर में "ओ" लेवेल प्रमाण पत्र अथवा

(2)- कम्प्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा का अंक पत्र/प्रमाण पत्र

ख- अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अभिलेख (यदि कोई हो तो)-

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र या

(3) कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग का प्रमाण पत्र।

ग- आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख (यदि लागू हो)-

(1)- मूल निवास प्रमाण पत्र

(2)- अन्य पिछड़े वर्ग (नॉनक्रीमीलेयर) के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित **प्रारूप-1** पर (01 अप्रैल, 2015 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक) निर्गत होना चाहिए।

(3)- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित**प्रारूप-2** पर।

(4)- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-3** पर निर्गत होना चाहिए।

(5)- भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण पत्र, यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट'।

(6)- आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-4** पर होना चाहिए।

घ- फार्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और आवक्ष तक रंगीन फोटो और हस्ताक्षर।

<u>8- आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:-</u>

(1) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

<u>9-अन्य</u>

1- विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थाई है।

2- अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो।

3- किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, पुरूष अभ्यर्थी के एक से अधिक जीवित पत्नी के होने या महिला अभ्यर्थी द्वारा ऐसे पुरूष जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो से विवाह करने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एव चयनों से प्रतिवारित **(Debar)** करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

4- यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

5- इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

6- यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभाष की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

10-बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाvk के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री..निवासी ग्राम...................तहसील.....................नगर..........................जिला................................उत्तर प्रदेश राज्य की..................................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....................................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम...........................तहसील...........................नगर............................जिला.......................

....में सामान्यतया रहता है।

स्थान................................

दिनांक...............................

मुहर................................

हस्ताक्षर.............................

पूरा नाम.............................

पदनाम..............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

<u>प्रारूप-2</u>

<u>उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाणपत्र</u>

शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी- iii -का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..................................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री...निवासी ग्राम....................तहसील......................नगर..........................जिला.................................उत्तर प्रदेश राज्य की...................................जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी......................................तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के........................ग्राम............................तहसील..................नगर.............................जिला.......
....................में सामान्यतया रहता है।

स्थान.................................

दिनांक..............................

मुहर..................................

हस्ताक्षर..............................

पूरा नाम.............................

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21अप्रैल, 2015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.......................................निवासी ग्राम...तहसील.....................नगर........................जिला...... ....'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993' के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).........................पुत्र/पुत्री/पौत्र(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..................................के आश्रित है।

स्थान.......................................

दिनांक......................................

हस्ताक्षर.....................................

पूरा नाम....................................

पद नाम......................................

मुहर...

जिलाधिकारी(सील)

प्रारूप-4

कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाये जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..............................राज्य सरकार के कर्मचारी है जो **वेतनमान**....................................में..........................के पद पर ....विभाग/कार्यालय में दिनांक........................से नियमित आधार पर सेवारत हैं।

स्थान...
दिनांक..

हस्ताक्षर.......................................
(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)
नाम.....................................
पद नाम......................................
मुहर..............................

<u>कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड- 'ए' की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम</u>

<u>1-सामान्य ज्ञान (General knowledge)-</u> सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफ0डी0आई0 (फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट), विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उ0प्र0 की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, उ0प्र0 में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध, कम्प्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक/आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन।

<u>2-मानसिक lkeF; (Mental ability)-</u>

Logical Diagrams-तर्किक आरेख, Symbol-Relationship Interpretation- संकेत सम्बन्ध विश्लेषण, Perception Test- प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, Word formation Test- शब्द रचना परीक्षण, Letter and number series- अक्षर और संख्या श्रृंखला, Word and alphabet Analogy-शब्द और वर्णमाला मे आंशिक समरूपता, Common Sense Test- व्यावहारिक ज्ञान परीणक्ष, Direction sense Test- दिशा ज्ञान परीणक्ष, Logical interpretation of data- आंकड़ो का तार्किक fo'y"k.k] Forcefulness of argument- iHkkoh rd] Determining implied meanings-vrfufgr Hkkok dk fofu'p; djuk] Numerical ability Test- l[;kRed ;kX;rk ijh{k.kA

<u>3- rd'kfDr ¼Reasoning)</u>

Analogies-समरूपता, Similarities-समानता, Differences-भिन्नता, Space visualization-खाली स्थान भरना, Problem solving- समस्या को सुलझाना, Analysis judgement-विश्लेषण निर्णय, Decision-making-निर्णायक क्षमता, Visual memory- दृश्य स्मृति, Discrimination-विभेदन क्षमता, Observation- पर्यवेक्षण, Relationship-सम्बन्ध, Concepts-अवधारणा, Arithmetical reasoning- अंकगणितीय तर्क, Verbal and figure classification-शब्द और आकृति वर्गीकरण, Arithmetical number series-अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships- अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता।

4.<u>Computer Science-</u>

<u>Introduction:</u>

History, Evolution and Generation of computers, Organisation of Computer system, Hardware, Software, Peripheral Devices, Algorithm, Flowchart and Number System.

<u>Database Management System:</u>

Data organisation, File Management System, Database Concepts, Relational Data Model and Basic Concept of Database, Popular Database Management System- Fox pro and Oracle with SQL etc.

PC Software and Office Automation:

Office System and Procedure, the need for office automation, Electronic Capture, Storage, Graphics and Graphic User Interface, Electronic Data Interchange.

Workplace Productivity Tools:

Word Processing Tools, Electronic spreadsheets, Electronic presentation tools. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), Open Office, Using these tools in English and official Indian languages (Windows, Unix and Unicode Fonts), Exchange of Files across these platforms.

Computer Networks:

Types of networks, Network topology, Risk assessment and security measures and security issues, LAN, MAN, WAN.

The Internet:

Working with internet, uses of internet, Search Engines, e-mail, e-commerce, e-banking and e-learning.

Emerging Technologies and Web Publishing:

Application Software, Computer controlled devices, Artificial Intelligence, Mobile Computing, Green Computing, Operating System-Windows, Unix/Linux, HTML, JavaScript, Banking and e-commerce application.

Boolean algebra:

Boolean operators, Truth Tables, Closure property, Laws of Boolean Algebra, SOS, POS, Karnaugh map, Application of Boolean logic.

Data Structures:

One and two dimensional arrays, Stack and queue.